भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2371

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अभीष्ट लाभार्थियों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का पुनरुद्धार

2371. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत किफायती आवास की मांग में हाल ही में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए उक्त योजना को इसके अभीष्ट लाभार्थियों हेतु वास्तव में सुलभ बनाकर पुनरुद्धार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन को देश भर के शहरी क्षेत्रों में चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किफायती लागत पर 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों के लिए कार्यान्वयन के लिए शुरू किया है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी)/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को पीएमएवाई-यू 2.0 के एकीकृत वेब पोर्टल पर आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए उपयुक्त माध्यमों से विभिन्न घटकों के तहत आवास की मांग का आकलन करने के लिए कहा गया है।

लाभार्थी पोर्टल पर सभी विवरणों के साथ आवास की मांग के लिए खुद को पंजीकृत भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए योजना के दिशा-निर्देश और एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in के माध्यम से देखा जा सकता है। इसके अलावा, पात्र लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करने वाले 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 6.75 लाख से अधिक आवासों का सैद्धांतिक अनुमोदन किया गया है।

इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा अनिवार्य है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के न्यूनतम हिस्से के अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें वहनीयता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप हिस्सा भी प्रदान कर सकती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बैंकों, लाभार्थियों और राज्यों के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करके लाभार्थियों को कम लागत वाली ऋण सुविधा प्रदान करने की सलाह दी जाती है।

नवीन निर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, नवीन डिजाइन और निर्माण पद्धतियों और परियोजनाओं की सहायता करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत एक प्रौद्योगिकी और नवाचार उप-मिशन (टीआईएसएम) की स्थापना की गई है। टीआईएसएम पारंपरिक निर्माण सामग्री पध्दतियों के स्थान पर आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों और सामग्री के उपयोग को मुख्यधारा में लाने और बढ़ाने के लिए विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं की तैयारी और अपनाने की सुविधा प्रदान करता है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देशों में यथा परिकल्पित किफायती आवास पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए समयबद्ध आधार पर सार्वजनिक/ निजी एजेंसियों के लिए विभिन्न सुधारों और प्रोत्साहनों को शामिल करते हुए "सस्ती आवास नीति" तैयार करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) के लिए कम आय वाले आवास के लिए ऋण जोखिम गारंटी निधि योजना (सीआरजीएफटीएलआईएच) का पुनर्गठन किया है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, एचएफसी आदि से लिए गए आवास ऋण पर गारंटी प्रदान करके पात्र परिवारों की ऋण पहुंच और पात्रता को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी से संबंधित पीएमएवाई-यू 2.0 के पात्र लाभार्थियों को वित्तीय संस्थाओं से किफायती आवास ऋण के माध्यम से समय पर अपना आवास पूरा करने में मदद करना है, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्यों में सीधे योगदान मिलता है। इसके अलावा, अनौपचारिक क्षेत्रों के लाभार्थियों की मदद के लिए वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) और बैंकों/एचएफसी के साथ गृह ऋण उत्पाद विकसित किए गए हैं।

*****